वन भूमि की मांग का औचित्य (Justification)

परियोजना का नामः– जाडी से चकराता पाईप लाईन ।

जाडी से चकराता के लिए वर्षो पूर्व ब्रिटिश शासन काल में निर्मित पेयजल योजना का लगभग 2500मीटर लम्बा भाग चकराता त्युणी मोटर मार्ग के किनारे मे निर्मित था जो अब NH 707A के KM 70.750 से 72.825 के मध्य स्थित है, वर्तमान में उक्त एन.एच. का चौडीकरण का कार्य जारी है जिस कारण उक्त पेयजल योजना क्षतिग्रस्त हो गई है और मार्ग चौडीकरण के कारण पाईप लाईन मार्ग के बीच में आ गई है , इसलिए लाईन को मार्ग से 50 मीटर दूर हटाया जाना नितान्त आवश्यक है क्योकि मार्ग समाप्त होते ही दोनो ओर के छोर का (खड्ड एवं पहाड साइड) समस्त क्षेत्र आरक्षित वन भूमि है तथा अन्य कोई विकल्प पेयजल योजना स्थानान्तरण के लिए उपलब्ध नही है, इसलिए उक्त परियोजना के लिए 2500मीटर लम्बाई की लाईन का स्थानान्तरण आरक्षित वन भूमि मे मार्ग से लगभग 50मीटर उपर की ओर (पहाड साइड) होना है।

'Q' BRANCH PIN-934022 ESTABLISHMENT NO 22

"वन क्षेत्राधिकारी"
कनासर रेंज
चकराता

Lt Col
AA&QMG
Est No 22

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग
चकराता